HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 7533/2025

Devendra Kumar Gurjar Son of Jagdish Gurjar, Resident of Habibpur Tehsil Gangapur City, Sawai Madhopur, Rajasthan.

----Accused/Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.P.

----Non-Petitioner

2. Sunil Kumar Son of Govind Singh, Aged 26 Years, Resident of Rent 246A , Shanti Nagar B Gurjar Ki Thadi Police Station Mahesh Nagar, Jaipur, Jaipur City (South), Rajasthan.

----Complainant/Proforma-Non-Petitioner

For Petitioner(s)	:	Mr. Lokesh Gaur, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vivek Choudhary, Dy. GA Mr. Gaurav Gupta, Asst. GA
For Complainant(s)	:	None

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

23/02/2026

1 याची–अभियुक्त की ओर से उक्त एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका अंतर्गत धारा **528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **44/2025** पुलिस थाना– **महेश नगर,** जिला– **जयपुर शहर(दक्षिण)**, अपराध अंतर्गत धारा **316(2), 318(4), 303(2) भारतीय न्याय संहिता** एवं उससे उद्भूत समस्त कार्यवाही को रद्द एवं अपास्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है, साथ ही **स्थगन प्रार्थना पत्र** प्रस्तुत किया गया है।

2 तीन सप्ताह की वापसी के साथ अयाचीगण को नोटिस जारी किए जावें, विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता अयाची संख्या–01 की ओर से नोटिस स्वीकार करते है।

3 विद्वान् अधिवक्ता याची–अभियुक्त का तर्क है कि प्रस्तुत मामले में याची–अभियुक्त के विरुद्ध परिवादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 44/2025 पूर्णतया मिथ्या तथ्यों के आधार पर दर्ज कराई गई है, उनका कथन है कि याची–अभियुक्त एवं परिवादी के मध्य आपस में पैसों का विवाद था, उनका कथन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिवादी द्वारा याची–अभियुक्त को दिनांक 15.01.2025 को 2,40,000/– रुपये स्वयं के एवं उसके भाई के खाते से हस्तांतरित किया जाना अंकित किया गया है, उक्त तथ्य पूर्णतया गलत हैं, क्योंकि एक्सिस बैंक के खाते के अनुसार दिनांक 15.01.2025 को याची–अभियुक्त के खाते में 2,40,000/– रुपये की कोई राशि परिवादी के खाते से प्राप्त नहीं हुई है, उनका कथन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसने 84,000/– रुपये नकद लेना अंकित किया है, जबकि इकरारनामे में 84,000/– रुपये नकद देने के बारे में कोई तथ्य अंकित नहीं है, उनका कथन है कि वाहन संख्या आरजे25–सीबी–4504 याची–अभियुक्त का ना होकर उसके भाई का है एवं उक्त वाहन उसके द्वारा परिवादी के समक्ष बतौर प्रतिभूति नहीं रखा था, उनका कथन है कि प्रकरण पूर्णतया आपसी लेनदेन का है, किंतु पुलिस ने मिलकर झूंठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है, उनका कथन है कि याची–अभियुक्त अन्वेषण में भाग लेने के लिए तैयार एवं तत्पर है, पुलिस उसे गिरफ्तार करने पर आमादा है, अतः याची–अभियुक्त को उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के संदर्भ में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जावे।

4 विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने याची–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अंतरिम सुरक्षा प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध करते हुए उसे अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

5 मैंने पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

6 हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों आदि को दृष्टिगत रखते हुए याची–अभियुक्त को न्यायहित में आदेश दिया जाता है कि यदि वह दिनांक **06.03.2026** को या उससे पूर्व अनुसंधान अधिकारी के समक्ष

उपस्थित होकर अनुसंधान में भाग ले तो उसके विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **44/2025** के संदर्भ में आगामी तिथि तक कोई बलपूर्वक कार्यवाही (**No Coercive Action**) नहीं की जावे, याची–अभियुक्त के उक्त तिथि तक अनुसंधान हेतु उपस्थित नहीं होने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

7 अनुसंधान अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान कर आगामी तिथि पर प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे।

8 प्रकरण **3 सप्ताह** पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

(BHUWAN GOYAL),J

RAHUL KUMAR KHANDELWAL /14